संख्याः 235 / 35–1–2012–3 / 1(27) / 99

प्रेषक,

विजय कुमार मिश्र,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवामें,

महानिदेशक,
राज्य नियोजन,
राज्य नियोजन संस्थान,
उ0प्र0,योजना भवन,लखनऊ।

नियोजन अनुभाग–1 *लखनऊः दिनॉक 14 जनवरी, फरवरी, 2012*

विषयः वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर राजकीय विभागो के आशुलिपिक संवर्ग के सम्बन्ध में लिए गये निर्णय को राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग), उ0प्र0 में कार्यान्वयन के सम्बनध में।

महोदय,

उर्पयुक्त विषयक आपके पत्र संख्याः1445 / 1–1 / सा0प्र0 / 2002, दिनॉक 05 जनवरी, 2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 के शा0सं0 वे0आ0–2–2056 / दस–54(एम) / 2008 टी0सी0, दिनॉक 08 सितम्बर, 2010 के अनुसार वेतन समिति (2008) की संस्तुतियो पर आशुलिपिक संवर्ग के सम्बन्ध में लिए गये सामान्य निर्णय के क्रम में राज्य नियोजन संस्थान के आशुलिपिक संवर्ग में शासनादेश के साथ संलग्न अनुलग्नक–1 के स्तम्भ–2 में उल्लिखित पद नाम के समक्ष स्तम्भ–3 में इंगित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन स्तम्भ–4 में इंगित पदों की संख्या तथा स्तम्भ–5 में पदों को भरे जाने की वर्णित व्यवस्था को अनुलग्नक–2 के स्तम्भ–2 के अनुसार पद नाम, स्तम्भ–3 व 4 के अनुसार वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन, स्तम्भ–5 के अनुसार पदों की संख्या तथा स्तम्भ–6 के अनुसार पदो को भरे जाने की व्यवस्था तात्कालिक प्रभाव से प्रतिस्थापित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उर्पयुक्त संवर्गीय पुर्नगठन के फलस्वरूप उच्च ग्रेड वेतन के सापेक्ष समायोजित होने वाले पद धारको का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के शासनादेश संख्याःवे0आ0–2–841 / दस–2009–59(एम) / 2008, दिनॉक 24 दिसम्बर, 2009 में वर्णित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

3– उपरोक्तानुसार सेवा नियमावली में संशोधन कर लिया जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याःवे0आ0–1–123 / दस / 2012, दिनॉक 21–2–2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नकःयथोक्त.।

भवदीय,

विजय कुमार मिश्र
संयुक्त सचिव।

2 / –

संख्याः 235 (1)/35–1–2012, तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– कोषाधिकारी,जवाहर भवन,लखनऊ उ0प्र0।
3– निदेशक, एन0आई0सी0, छठा तल योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश को नियोजन विभाग की बेवसाइट पर डाले जाने हेतु।
4– वित्त (वेतन आयोग)अनुभाग–1/2
5– वित्त (व्यय–नियन्ण) अनुभाग–5
6– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(विजय कुमार मि
सयुक्त सचिव।

अनुलग्नक–1

शासनादेशसं0: 235 (1)/35–12012–3/1(27)/99 टी0सी0,
दिनॉक 16 फरवरी, 2012

क0 स0	पदनाम	पुनरीक्षित वेतन संरचना		पदो की संख्या	नियुक्ति/पदोन्नति की प्रकिया
		वेतन बैण्ड (रू0)	ग्रेड वेतन (रू0)		
1	2	3	4	5	6
1–	आशुलिपिक ग्रेड–2	5200–20200	2400	16	सीधी भर्ती द्वारा अर्हता इण्टरमीडिएट के साथ हिन्दी आशुलिपि में 80 शब्द प्रतिमिनट की निर्धारित गति तथा टंकण में 25 शब्द प्रतिमिनट के साथ इन्फार्मेशन टेक्नोलाजी विभाग के परामर्शनुसार कम्प्यूटर ज्ञान की अर्हता डी0ओ0ई, ए0सी0सी0 सोसायटी संचालित सी0सी0 पाठ्यक्रम अथवा माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 द्वारा संचालित कम्प्यूटर पाठ्यक्रम उर्त्तीण होना अनिवार्य अर्हता होगी।
2–	आशुलिपिक ग्रेड–1	9300–34800	4200	09	07 वर्ष की संतोषजनक सेवा वाले आशुलिपिक ग्रेड–2 से पदोन्नति द्वारा।
3–	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2	9300–34800	4200	05	आशुलिपिक ग्रेड–1 के पद पर न्यूनतम 5 वर्ष अथवा संवर्ग में कुल 12 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा वाले आशुलिपिक ग्रेड–1 से पदोन्नति।
4–	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–1	9300–34800	4600	02	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2 के पद पर न्यूनतम 03 वर्ष अथवा संवर्ग में कुल 15 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा वाले वैयक्ति सहायक ग्रेड–2 से पदोन्नति द्वारा।

(विजय कुमार मिश्र)
संयुक्त सचिव।

अनुलग्नक–2

शासनादेश संख्याः 235 (1)/35–12012–3/1(27)/99टी0सी0,
दिनॉक 14 फरवरी, 2012

त्रिस्तरीय ढांचा–

क0 स0	पदनाम	पुनरीक्षित वेतन सरंचना		पदो की प्रतिशत	शैक्षिक अर्हता/भर्ती की विधि
		वेतन बैण्ड (रू0)	ग्रेड वेतन (रू0)		
1	2	3	4	5	6
1–	आशुलिपिक	5200–20200	2800	16 पद (50 प्रतिशत के आधार पर)	संवर्ग में प्रथम स्तर का पद सीधी भर्ती का पद होगा। इस पद पर भर्ती हेतु शैक्षिक अर्हता इण्टरमीडिएट के साथ हिन्दी आशुलिपि में निर्धारित गति 80 शब्द प्रतिमिनट तथा टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट के साथ कम्प्यूटर से संबन्धित ज्ञान (डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 सोसाइटी द्वारा संचालित सी0सी0सी0 पाठ्यकम अथवा माध्यमि शिक्षा परिषद उ0प्र0 द्वारा संचालित कम्प्यूटर पाठ्यकम उर्त्तीण होना) अनिवार्य अर्हता होगी।
2–	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2	9300–34800	4200	11 पद (35 प्रतिशत के आधार पर)	यह पद द्वितीय स्तर के होगें। इन पदों को ज्येष्ठता के आधार पर न्यूनतम 08 वर्ष की संतोषजनक सेवा वाले आशुलिपिक पद धारको से पदोन्नति कर भरा जायेगा।
3–	वैयक्ति सहायक ग्रेड–1	9300–34800	4600	05 पद (15 प्रतिशत के आधार पर)	यह पद तृतीय स्तर के होगें। इन पदो को ज्येष्ठता के आधार पर आशुलिपिक पद की सेवाओं को जोड़ते हुए न्यूनतम 15 वर्ष की संतोषजनक सेवा वाले ऐसे वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2 के पदधारको, जिनके द्वारा इस रूप में न्यूनतम 05 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली गयी हो, से पदोन्नत कर भरा जायेगा।,

(विजय कुमार मिश्र)
संयुक्त सचिव।